कुंजीलाल मीणा
आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक.जेपीडी / अध्यक्ष डिस्कॉम्स / आरडीपीपीसी / प्रे.371 दिनांकः– 21 नवम्बर, 2012

कार्यालय आदेश

वर्ष 2012–13 में रबी सीजन में कृषि के लिए समुचित बिजली आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रबंध कर लिये गये है। प्रत्येक 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के लिए परिचालन व संधारण के अधिशाषी अभियन्ताओं को संलग्न सूची के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उन्हे यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणानुसार निर्धारित ब्लॉक समय में कृषि के लिए व घरेलू उपभोग हेतु निर्धारित अवधि में बिना व्यवधान बिजली उपलब्ध हो । विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी हेतु निम्न निर्देशों का पालन सभी नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। आपूर्ति व्यवस्था के लिए समय से कार्यवाही नें होने एवं शिथिलता बरतने के कारण व्यवधान के लिए नोडल अधिकारी ही उत्तरदायी होगें।

1. 220 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन व उससे जाने वाले 132 के.वी. फीडर्स व संबंधित 33 के.वी. लाईनों व सब स्टेशनों पर ब्लॉक अनुसार लोड व आपूर्ति की व्यवस्था की सूचना मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) को भेजेगें व तद्‌नुसार बिजली आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगें।
2. सभी 33 केवी सब–स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर फीडरवार कृषि ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति के बारे में प्रत्येक सप्ताह आपूर्ति समय अवधि व दिनांक सहित इंगित करावें।
3. कम से कम एक 33 के.वी. सब–स्टेशन प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की स्वंय जाकर जांच करेगें व अनियमितता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु विवरण सहित सूचित करेगें।
4. प्रतिदिन निर्धारित संलग्न प्रारूप 1 व 2 में कृषि हेतु ब्लॉक व सिंगल फेज घरेलू विद्युत आपूर्ति के बारे में सूचना फैक्स व ई मेल cerdppc@jvvnl.in द्वारा आगामी दिवस पर प्रातः 10 बजे तक सूचना प्रेषित करेगें।
5. अधिशाषी अभियन्ता आर.डी.पी.पी.सी. व एल.डी. कन्ट्रोल रूम से प्राप्त संदेश का इन्द्राज तथा सहायक अभियन्ताओं को संदेश पुनः प्रसारित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावेंगें।
6. मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) निगम व राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयों की सूचना फैक्स व एस.एम.एस. द्वारा सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को तुरंत

फोन : (0141) 2747064 (का.), 2700571 (नि.)• फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई–मेल : cmd@jvvnl.in, klmias@yahoo.com

प्रसारित करने की कार्यवाही करावेगें ताकि आपूर्ति नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके।

7 मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) नोडल अधिकारियों से प्राप्त 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन वार दैनिक संकलित सूचना एवं शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विवरण टिप्पणी सहित प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

21/11/12

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (तकनीकी / पीटी),जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर
2. मुख्य अभियन्ता / संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस /), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर ....
4. प्रावैधिक सहायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ।
5. प्रावैधिक सहायक प्रबंध निदेशक, अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर / जोधपुर ।
6. अधिशाषी अभियन्ता ( ) जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर – नोडल अधिकारी (220 के.वी. जी.एस.एस. ....)

संलग्नः यथोपरि

(एस.सी.शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी)